अभिलेखो में रास्ता के रूप मे अभिलिखित की जाने की भी आवश्यकता है। जिसके लिये आवेदन पेश है।

यह है कि, प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 237 व अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के खेत खसरा नम्बर 232 की चालू जमाबंदी की नकले पेश है एवं नक्शा ट्रेस की नकल पेश है। नक्शा ट्रेस किश्तवार में रास्ता को लाल डोटेड लाईन से दर्शाया गया है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिये नक्शा में दर्शाये गये लाल डोटेड स्थान पर रास्ता मंजूर किया जाकर राजस्व रेकर्ड व अधिकार अभिलेखो में इसी अनुसार रास्ता अभिलिखित किया जावे।

यह है कि, खेताय खसरा नम्बर 237 व 232 ग्राम कंकडाय तहसील मूण्डवा में स्थित होने से न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

यह है कि, राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तहसीलदार मूण्डवा को तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के सहखातेदार होने से व आज यहां उपस्थित नही होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाये गये है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी सख्या 3 व 4 की ओर से निम्न जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि यह है कि, प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में जिन खसरो का उल्लेख किया गया है, वह सही है।

यह है कि, प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 237 का खातेदार है। खसरा नम्बर 232 अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की खातेदारी का खेत है, खसरा नम्बर 234 गैर मुमकिन मगरा है, प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में खेत खसरा नम्बर 232 जो रास्ते की मांग की है, जो सरासर गलत है जबकि खसरा नम्बर 234 गैर मुमकिन मगरे मे से जो रास्ता चलता है वो अप्रार्थीगण व प्रार्थी के दोनो खेतो के चिपता ही कटाणी रास्ता मौके पर चलता है।

यह है कि, प्रार्थी हरीराम व सियाराम का जायन्दा सगा भाई महादेव जो प्रार्थी के ताउ शिवदानराम के गोद चला गया, जो उनके बंटवाड़े में खेत खसरा नम्बर 237/615 जिसका खातेदार महादेव है, जो प्रार्थी रास्ते से चिपता है। कटाणी रास्ते से अपने भाई महादेव खेत खसरा नम्बर 237/615 मे से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 237 में आते जाते रहे है व खेत खसरा नम्बर 237/615 मूल खसरा नम्बर 237 का ही भाग है। जो पारिवारिक बंटवाडे में महादेव के हिस्से में आ गया, जो कटाणी रास्ते से मिलान करता है व प्रार्थीगण सदैव से ही अपने परिवार के खेतो से होकर कटाणी रास्ते से आते जाते रहे है। आज भी वहां पर खसरा नम्बर 237/615 में मौके पर रास्ता है, जो संखवास से दियावडी जाने वाले कटाणी रास्ते से चिपता ही है। यदि किसी के खेतो में कटाणी रास्ता व पारिवारिक बंटवाडे में अपने परिवार व भाईयो के खेत हो, वो कटाणी रास्ते से चिपते है तो अन्य जगह से रास्ता लेने का कोई हक व अधिकार नही है।

यह है कि, अप्रार्थीगण न तो प्रार्थीगण के पारिवारिक सदस्यो मे से है, न ही इनके खेतो मे से कभी आना जाना रहा है, सिर्फ इनको तंग व परेशान करने के लिए व अपने परिवार के खेतो में कटाणी रास्ता होने की वजह से अन्य जगह से रास्ता लेने का कोई हक व अधिकार नही है। जबकि प्रार्थीगण अपने परिवार में भाई महादेव के खेत खसरा नम्बर 237/615 का उपयोग सदियो से करते आ रहे है, इसलिए प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू.अ.नि. रूण से मौका रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली है। उक्त रिपोर्ट में यह अंकित किया कि प्रार्थी ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 237 मौजा कंकडाय में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 के खातेदारी खेत

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

हरीराम बनाम सियाराम
राजस्व प्रार्थना पत्र 81/2014

खसरा नम्बर 232 मौजा कंकडाय की पूर्वी सींव के पास 30 फुट चौड़े रास्ते की मांग की है। इस रास्ते के लिए अलावा प्रार्थी के खातेदारी के खेत में आने जाने का कोई नजदीक रास्ता नही है। प्रार्थी को रास्ते की अतिआवश्यकता है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 237 मे आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 232 मे संलग्न लटटा नक्शा से माप 3x36=108 गटठा जिसका रकबा 0.05, 10 बिस्वा रकबा रास्ते के रूप में घोषित किया जाता है। ग्राम कंकडाय में डीएलसी दर प्रतिबीघा से 23040/- रूपये से प्रतिबीघा के हिसाब 0.05.10 बिस्वा की कीमत 6336x2=12672/- रूपये बनते है जो प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय मूण्डवा में जमा करावे जाने पर तहसीलदार मूण्डवा उक्त रकबे को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करावे एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 232 मे से रास्ते पेटे भूमि 0.05.10 बीघा कम करावे। उक्त रास्ते पेटे रकम खसरा नम्बर 232 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 हरीराम व अप्रार्थी संख्या 4 कुशालराम को देय होगे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ) नागौर

आदेश आज दिनांक 23.11.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ) नागौर

— : : न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर : :—

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 81/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
हरीराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी कंकड़ाय तहसील मूण्डवा जिला नागौर।		1. सियाराम पुत्र रूपाराम 2. हरीराम पुत्र किस्तुर 3. कुशालराम पुत्र किस्तुर जातियान जाट निवासीगण कंकड़ाय तहसील मूण्डवा जिला नागौर। 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251ए राज. टि. एक्ट

आदेश

दिनांक :— 29.11.2016

प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :—

यह है कि, प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 सियाराम सगे भाई है तथा अप्रार्थी संख्या 2 फेफी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की माता है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 प्रार्थी के खेत पड़ौसी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी एवं कब्जा का खेत हाल खसरा नम्बर 237 रकबा 24 बीघा मौजा कंकड़ाय तहसील मूण्डवा में स्थित है एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 232 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा कंकडाय में स्थित है। तथा खसरा नम्बर 234 सरकारी भूमि गैर मुमकिन मगरा है। नकल जमाबंदी साथ पेश है।

यह है कि, प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 237 मौजा कंकड़ाय में आने जाने के लिये सरकारी भूमि खसरा नम्बर 234 गैर मुमकिन मगरा मे से होकर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के खेत खसरा नम्बर 232 की पूर्वी सींव के पास पास उतर से दक्षिण चल कर प्रार्थी के खेत में जाने का रास्ता स्थित है प्रार्थी गांव में अपने खेत खसरा नम्बर 237 मे आने जाने टेक्टर, गाडी, छकडा लाने व ले जाने, मवेशी ले जाने व हर तरह के कार्य के लिये आने जाने के लिये यही एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई रास्ता खेत खसरा नम्बर 237 में आने जाने के लिये उपलब्ध नही है। तथा नजदीक से नजदीक यही रास्ता है तथा अन्य कोई दूसरा रारता आपस पास कही भी मौजूद नही है। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 रास्ता नही दे रहे है व रास्ते को अवरूद्ध कर रहे है। प्रार्थी के अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 से इस रास्ता हेतु बातचीत की, तथा प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधानो के अनुसार नियमानुसार अप्रार्थीगण को मुआवजा राशि अदा करने को तैयार है। मगर अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 प्रार्थी से सीधे तौर पर राशि प्राप्त नहीं कर रहे है। इसलिये रास्ते को उपयोग व उपभोग लेने हेतु व रास्ता हमेशा के लिये कायम करवाने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह है कि, प्रार्थी नियमानुसार अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 को मुआवजा राशि अदा करने को तैयार है व उक्त प्रावधान के तहत निर्धारित राशि जो भी माननीय न्यायालय आदेश देगा, प्रार्थी जमा करवाने के लिये तैयार है। उक्त रास्ता की चौड़ाई 30 फुट की आवश्यकता है तथा यह भूमि राजस्व

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर